

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

बईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 23/2022

दायर दिनांक :- 25.04.2022

अनवान

1. श्री ओम प्रकाश पुत्र रामजस मूंदडा महाजन निवासी जहाजपुर
2. समता देवी पत्नि विनोद कुमार महाजन निवासी जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. कल्याणमल पुत्र काना माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
2. प्रभूलाल पुत्र काना माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
3. मोहनी पुत्री काना माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
4. रामप्रसाद पुत्र मोहन लाल माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
5. सीताराम पुत्र गंगाराम जाति माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
6. तहसीलदार तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादीगण
2. श्री सुनिल पत्रिया, वकील प्रतिवादी सं. 1 से 4


:: निर्णय ::

दिनांक 01.02.2023

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी जारी की गई थी जिसके अनुसार तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया था कि ग्राम जहाजपुर पटवार हल्का जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 4706 कुल किता 01 रकबा 0.1052 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स (गुणावगुण) के आधार पर राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे, जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर द्वारा जरिये पत्र दिनांक 18.01.2023 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील उभयपक्ष उपस्थित। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से उभयपक्ष भी सहमत है। मेरी विनम्र राय में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी जारी किया जाना उचित है।



उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-

ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हेक्टेयर)	किरम	लगान (रुपये)
1	ओम प्रकाश पुत्र रामजस हिस्सा 61/88 मूंदडा महाजन सा. देह समता देवी पत्नि विनोद कुमार हिस्सा 27/88 महाजन सा. देह खातेदार	4706 में से	0.0791	चाही उत्तम	
		कुल कित्ता 01	0.0791		
2.	कल्याणमल पुत्र काना हिस्सा 5/29 माली सा. देह खातेदार प्रभूलाल पुत्र काना हिस्सा 5/29 माली सा. देह खातेदार मोहनी पुत्री काना हिस्सा 5/29 माली सा. देह खातेदार रामप्रसाद पुत्र मोहन लाल हिस्सा 9/29 माली सा. देह खातेदार सीताराम पुत्र गंगाराम जाति हिस्सा 5/29 माली सा. देह खातेदार	4706 में से	0.0261	चाही उत्तम	
		कुल कित्ता 01	0.0261		

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (दामोदर सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी,
 जहाजपुर (भीलवाडा)
 जहाजपुर (भीलवाडा)

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

1. श्री ओम प्रकाश पुत्र रामजस मूंदडा महाजन निवासी जहाजपुर
2. समता देवी पत्नि विनोद कुमार महाजन निवासी जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. कल्याणमल पुत्र काना माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
2. प्रभूलाल पुत्र काना माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
3. मोहनी पुत्री काना माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
4. रामप्रसाद पुत्र मोहन लाल माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
5. सीताराम पुत्र गंगाराम जाति माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
6. तहसीलदार तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 53, 188 आर. टी. ए.

प्रकरण संख्या :- 23/2022

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिव मुदई व श्री सुनिल पत्रिया का मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-

ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर

क.स.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किरम	लगान (रुपये)
1	ओम प्रकाश पुत्र रामजस हिस्सा 61/88 मूंदडा महाजन सा. देह समता देवी पत्नि विनोद कुमार हिस्सा 27/88 महाजन सा. देह खातेदार	4706 में से	0.0791	बाही उत्तम	
		कुल कित्ता 01	0.0791		
2.	कल्याणमल पुत्र काना हिस्सा 5/29 माली सा. देह खातेदार, प्रभूलाल पुत्र काना हिस्सा 5/29 माली सा. देह खातेदार, मोहनी पुत्री काना हिस्सा 5/29 माली सा. देह खातेदार रामप्रसाद पुत्र मोहन लाल हिस्सा 9/29 माली सा. देह खातेदार, सीताराम पुत्र गंगाराम हिस्सा 5/29 माली सा. देह खातेदार	4706 में से	0.0261	बाही उत्तम	
		कुल कित्ता 01	0.0261		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.02.2023.

(दामोदर सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)